उत्तर प्रदेश शासन
भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग–3
संख्या – 126 /54–3–2009/1(समादेश)/2008
लखनऊ दिनांक 25 फरवरी,2009

कार्यालय ज्ञाप

सचिव, भारत सरकार , ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग के अ0शा0प0सं0 –जेड–11011/7/2008 – पी0पी0सी0 दिनांक 09 अप्रैल, 2008 के संदर्भ में राष्ट्रीय वर्षा सिचिंत क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वाटर शेड विकास परियोजनाओं के लिए समान मार्गदर्शी सिद्धान्त 2008 के पैरा 24 व 25 में की गयी व्यवस्था के कम में श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश स्तर पर स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी (एस0एल0एन0ए0) का निम्नवत् गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1	कृषि उत्पादन आयुक्त/अपर मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2	सचिव/प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन	सदस्य सचिव
3	विशेष सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग अथवा आई0ए0एस0/ पी0सी0एस0सेवा के विशेष सचिव स्तर का अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
4	सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि	सदस्य
5	सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास	सदस्य
6	सचिव/प्रमुख सचिव, वन	सदस्य
7	सचिव/प्रमुख सचिव, पशुपालन	सदस्य
8	सचिव/प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास	सदस्य
9	सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायतीराज	सदस्य
10	सचिव/प्रमुख सचिव, उद्यान	सदस्य
11	सचिव/प्रमुख सचिव,लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	सदस्य
12	निदेशक, भूगर्भ जल विभाग,उ0प्र0	सदस्य
13	राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एन0आर0ए0ए0) के प्रतिनिधि	सदस्य
14	केन्द्रीय नोडल मंत्रालय के प्रतिनिधि	सदस्य
15	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैक (नाबार्ड) के प्रतिनिधि	सदस्य
16	प्रोफेसर एवं हेड फारेस्ट्री डिपार्टमेन्ट , चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	सदस्य
17	संयुक्त निदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान , बक्शी का तालाब , लखनऊ	सदस्य
18	प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संगठन (एनजीओ) के प्रतिनिधि	सदस्य
19	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन0आर0ई0जी0ए0) के प्रतिनिधि	सदस्य
20	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) के प्रतिनिधि	सदस्य

LA

2–स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी (एस0एल0एन0ए0) के मुख्य कार्य निम्न प्रकार होगें–

(1) ब्लाक तथा जिला स्तर पर तैयार की गयी योजनाओं के आधार पर राज्य के लिये वाटरशेड विकास की संदर्शी तथा कार्यनीतिक योजना तैयार करना और कार्यान्वयन संबंधी कार्यनीति तथा प्रत्याशित उपलब्धियों/परिणामों, वित्तीय परिव्ययों को सूचित करना तथा मूल्यांकन और स्वीकृति के लिए विभाग में केन्द्र स्तरीय नोडल एजेसी से सम्पर्क करना ।

(2) राज्यों को स्वीकृत निधियों से राज्य स्तरीय ऑकड़ा प्रकोष्ठ स्थापित करना तथा इसका रखरखाव करना और राष्ट्र स्तरीय ऑकड़ा केन्द्र के साथ इसे ऑन लाइन जोड़ना ।

(3) पूरे राज्य में जिला वाटरशेड विकास इकाईयों (डी0डब्ल्यू0डी0यू0) को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना ।

(4) राज्य के भीतर विभिन्न भागीदारों के क्षमता निर्माण के लिए स्वतंत्र संस्थाओं की एक सूची अनुमोदित करना और एन0आर0ए0ए0 /नोडल मंत्रालय के परामर्श से समग्र क्षमता निर्माण संबंधी कार्यनीति तैयार करना ।

(5) समुचित विषयनिष्ठ चयन मानदण्डों तथा पारदर्शी प्रणालियों को अपनाकर डी0डब्ल्यू0डी0यू0/जिला स्तरीय समिति द्वारा अभिज्ञात/चयनित परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुमोदित करना ।

(6) विभिन्न स्तरों (आंतरिक एवं बाह्य/स्वंतत्र प्रणालियों) पर निगरानी, मूल्यांकन तथा ज्ञानार्जन प्रणालियॉ स्थापित करना ।

(7) केन्द्र स्तरीय नोडल एजेंसी के सहयोग से राज्य में वाटरशेड परियोजनाओं की नियमित तथा गुणवत्तापूर्ण ऑन लाइन मॉनीटरिंग सुनिश्चित करना तथा स्वतंत्र एवं सक्षम एजेंसियों के साथ साझेदारी विकसित करके सूचना प्राप्त करना ।

(8) राज्य के भीतर सभी वाटरशेड परियोजनाओं के लिये स्वंतत्र संस्थागत मूल्यांकनकर्ताओं की एक सूची (पैनेल) तैयार करना, इस सूची को केन्द्र स्तर पर संबंधित नोडल एजेसिंयों से विधिवत रूप से अनुमोदित करवाना तथा यह सुनिश्चित करना कि गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन का कार्य नियमित आधार पर किया जाता है ।

(9) नोडल मंत्रालय/एन0आर0ए0ए0 के साथ समन्वय से राज्य विशिष्ट प्रक्रिया मार्गदर्शी सिद्धान्त , प्रोद्योगिकी मैनुअल आदि तैयार करना तथा इन्हें लागू करना ।

(10) अन्य संबंधित कार्य ।

3. प्रदेश के सभी विभाग जो वाटर शेड पर आधारित परियोजनायें कियान्वित कर रहे हैं,वे स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी(एस0एल0एन0ए0) द्वारा निर्धारित कार्यनीति /मानकों एवं परामर्श अनुसार कार्य करते रहेगें।

4. इस संबंध में भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग —1, उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या 315 /54—1—2008/1(9)/2008 दिनांक 01 मई, 2008 निरस्त किया जाता है ।

अतुल कुमार गुप्ता
मुख्य सचिव।

संख्या — 126 (1)/54—3—2009/1(समादेश)/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित —

1— सचिव, भारत सरकार , ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
2— स्टाफ आफीसर , मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ।
3— स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त , उ0प्र0 शासन ।
4— सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि , ग्राम्य विकास, वन, पशुपालन, दुग्ध विकास , पंचायतीराज, उद्यान तथा लघु सिचांई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा ।
5— समस्त मण्डलायुक्त , उ0प्र0 ।
6— समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
7— आयुक्त एवं प्रशासक, शारदा सहायक/रामगंगा समादेश लखनऊ/कानपुर ।
8— निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, इन्द्राभवन, लखनऊ।
9— मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) भारत सरकार , एन0ए0एस0सी0 काम्पलेक्स , देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, पूसा, नई दिल्ली—110012
10— मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैक गोमती नगर ,लखनऊ।
11— उप कुलपति , चन्दशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय , कानपुर।
12— महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,बक्शी का तालाब , लखनऊ ।

(योगेश कुमार)
प्रमुख सचिव।